संचालनालय संस्थागत वित्त
वित्त विभाग
मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक **925** /संसंवि/ब्रिस्क/2011 रायपुर, दिनांक 03/12/2011

प्रति,

कलेक्टर (समस्त),

जिला–...................................

छत्तीसगढ़

विषय :– छत्तीसगढ़ में ब्रिस्क प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

– :: –

ब्रिस्क प्रबंध समिति के निर्णय अनुसार ब्रिस्क योजना अंतर्गत अर्जित ऋण वसूली राशि में से संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ के प्राप्त राज्यॉश राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन व्यय (मानदेय भत्ता, पुरस्कार/उपहार एवं संबंधित व्यय) मद में व्यय प्रावधानित है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में सर्वाधिक ऋण वसूली कर राज्यॉश की देय राशि इस संचालनालय को उपलब्ध कराने वाले कलेक्टर एवं उस जिला के राजस्व अधिकारियों को संलग्न ब्रिस्क प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अनुसार प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाना है।

कृपया वित्तीय वर्ष अंत 31 मार्च, 2012 की स्थिति में ब्रिस्क योजना अंतर्गत आपके जिले में अधिक से अधिक वसूली कर, अर्जित ऋण वसूली की राशि की जानकारी एवं वसूल की गई ऋण राशि में राज्यांश की देय राशि 25 अप्रैल, 2012 तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

कृपया जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को यथानुसार सूचित करने की व्यवस्था करें।

(प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अमिताभ खण्डेलवाल)
संचालक

Directorate of Institutional Finance, 1st Floor C.I.D.C. Building (opposite gate no.1) Mantralaya Campus, Raipur
Tele.: 0771-4080572 & Fax: 4016156 E-mail Id:- adif.cg@nic.in

C5-TV-HINDI LETTER (New-NEW FINAL)-P- 1209 -

संचालनालय संस्थागत वित्त
वित्त विभाग
मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

ब्रिस्क प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

अ) **राज्य स्तर** पर कार्यालय कलेक्टर को पुरस्कार :-

1.	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार	कार्यालय कलेक्टर को शील्ड़ एवं प्रशस्ति पत्र	वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वाधिक राज्यांश राशि प्रेषित करने वाले तीन जिलों को पारितोषिक शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

ब) जिला स्तर पर राजस्व अधिकारियों को पुरस्कारः- आलोच्य वितीय वर्ष में सर्वाधिक वसूली अर्जित करने वाले प्रथम 03 जिलों को प्रोत्साहन पुरस्कार राज्यांश राशि से नगद राशि दी जाएगी, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा अपने जिले में सर्वाधिक वसूली करने वाले राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को यथोचित समारोह में दिया जाएगा।

नगद प्रोत्साहन पुरस्कार राशि की गणना, संबंधित वित्तीय वर्ष में प्राप्त राज्यांश राशि के 10 प्रतिशत के कुल प्रावधानित बजट में आयोजन/शील्ड/प्रशस्ति पत्र इत्यादि व्यय को कम करने के बाद, संचालक, संस्थागत वित्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

08/12/11

(अमिताभ खण्डेलवाल)
संचालक

Directorate of Institutional Finance, 1st Floor C.I.D.C. Building (opposite gate no.1) Mantralaya Campus, Raipur
Tele.: 0771-4080572 & Fax: 4016156 E-mail Id:- adif.cg@nic.in